जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.)
सत्र 2018-19 के लिये विद्यालय मैस में खाना पकाने इत्यादि कार्य हेतु निविदा दरे

क्र.स.	कार्य का प्रकार	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित
1.	विद्यालय मैस में नाश्ता, दोपहर एंव सायं का खाना तैयार करने एंव अन्य सहयोगी कार्यो हेतु रसोईया मजदूर / कर्मचारी उपलब्ध कराना	दर प्रतिमाह (प्रति व्यक्ति) : .... जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक

नियम एंव शर्ते : –

1. विद्यालय में लगभग 550 विद्यार्थियों मय स्टाफ का नाश्ता, दोपहर एंव सांय का भोजन तैयार किया जाना हैं जिसके लिये नवोदय समिति द्वारा एक रसोईया तथा दो सहायक नियमित रुप से नियुक्त हैं। उक्त कार्य को सहयोग हेतु अतिरिक्त रसोइया/ वर्करों हेतु निविदा आमंत्रित हैं।
2. निविदादाता को विद्यालय मैस में कार्य हेतु कम से कम 08 (आठ) व्यक्ति उपलब्ध कराने होगे। जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा पूर्ण रुप से स्वस्थ एंव किसी प्रकार का नशा न करने वाले हो तथा वे किसी भी सक्रमित बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिये ।
3. विद्यालय मैस का कार्य सीधे तौर पर विद्यार्थियों एंव स्टाफ के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हैं अतः मैस में कार्य पूर्ण शुद्वता, स्वच्छता, सावधानी एंव सफाई पूर्वक करना होगा तथा स्वयं भी साफ सुधरा रहना होगा ।
4. विद्यालय मैस के समय एंव मीनू के अनुसार प्रातः नाश्ता, दोपहर एंव सांय का भोजन एंव आवश्यकतानुसार स्नैक्स आदि बनाना होगा। मैस का समय, मीनू एंव कार्य, मैस प्रभारी अथवा खान-पान सहायक के निर्देशानुसार करना होगा ।
5. मैस वर्कर मैस प्रभारी / खान पान सहायक के दिशा निर्देश में कार्य करेंगे । किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में अथवा प्रभारी के कार्य से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में प्राचार्य के निर्देशानुसार कर्मचारी को अविलम्ब हटा दिया जायेगा तथा नया कार्यकर्ता उपलब्ध कराना होगा।
6. मैस प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बर्तन एंव अन्य सामग्री को संभालना एंव उचित ढ्ग से देखभाल करना तथा समय पर खादय सामग्री तैयार कर उसे सुरक्षित ढंग से रखना तथा परोसना इत्यादि कार्य करना होगा ।
7. विद्यालय में पतझड़ / शीतकालीन अवकाश की अवधि या प्रशासनिक कारणों से छात्रों की संख्या कम होने पर विद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार कर्मचारी कम करने होगे जिसका अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जायेगा ।
8. निविदादाता द्वारा दिये गये किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी दुर्घटना की स्थिति के लिये विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा । विद्यालय में उपलब्ध संसाधन के अनुरुप प्राथमिक उपचार दिया जा सकता हैं परन्तु ऐसे कर्मचारी का इलाज उपचार इत्यादि का खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा पूर्ण हर्जा एंव खर्चा निविदा दरें देने वाले निविदादाता का होगा ।
9. निविदादाता एंव प्रदत कर्मचारियों को विद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों को पूर्ण रुपेण पालना करना होगा । उन पर किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा प्राचार्य द्वारा दिये गये आदेश एंव किसी भी विवादित विवरण में प्राचार्य का निर्णय ही सर्वमान्य होगा ।
10. टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा यदि निविदादाता श्रम विभाग से पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या अथवा पंजीयन पत्र की छायाप्रति साथ लगावे । निविदादाता प्राचार्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि वह श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन करता हैं एंव उन्हें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिक से कम नहीं देता हैं ।
11. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये कर्मचारियों का ईपीएफ /ईएसआई की कटौती अनिवार्य रुप से करेगा और उसका विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
12. निविदादाता को उसके द्वारा उपलब्ध कर्मचारी की उपस्थिति के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी स्थिति में माह में छब्बीस दिवस से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
13. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से पहचान पत्र एंव चिकित्सा प्रमाण पत्र एंव पुलिस सत्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।

For office use only

PAC Member Sign

उपरोक्त समस्त शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ ली हैं तथा समस्त निर्णय एंव शर्ते मुझे मान्य हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सम्पूर्ण पता
....
....

दिनांक : ....

1.
2.
3.
4.
5.

दूरभाष नम्बर : ....

निविदादाता का बैक खाता सख्या : ....

बैक का नाम जहा खाता हैं : ....

बैक का IFSC Code : ....